

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/293
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00194
CICOM/R/2019/00704

दिनांक: 28.11.2019

अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा,
ग्राम व पो0 - साजी,
थाना - कोराव, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश।

निर्णय की तारीख: 28.11.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.09.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.10.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	18932/05.11.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 30.08.2019 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में दिनांक 23.09.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री एस. सी. शर्मा द्वारा सूचना प्रेषित की गई। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रेषित की गई सूचना उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ही है एवं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

शान्ति प्रिय बेक
(शान्ति प्रिय बेक)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
Sh. S. C. Sharma, CPIO & DO to IC (NG), CIC, New Delhi.

